# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 575/2012/जयपुर**

मैसर्स खजान्ची ब्रदर्स, पितलियों का चौक,
जौहरी बाजार, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वृत्त–एच, जयपुर।
.....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री मदन लाल, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री एम.एल.बोरड़
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक :29.04.2015**

## निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स–द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **04.11.2011,** जो अपील संख्या 241/अपील्स–II/आरवीएटी/जयपुर/एच/2010–11 के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने सहायक आयुक्त, वृत्त–एच, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 61 के तहत् आरोपित कर रू.20,675/– व दोगुना शास्ति रू.41,350/– तथा धारा 75(8) के अन्तर्गत आरोपित कर रू.933/– व शास्ति रू.1998/– की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत्त–एच, जयपुर (जिसे आगे "सर्वेक्षण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक **29.04.2010** को व्यवसाय स्थल पर रखे गये माल का भौतिक सत्यापन दो गवाहों की उपस्थिति में भागीदार श्री अजीत सिंह की उपस्थिति में किया गया। वक्त सर्वेक्षण भागीदार श्री अजीत सिंह द्वारा 18 लूज पेपर्स वास्ते जांच हेतु सर्वेक्षण अधिकार के समक्ष प्रस्तुत किये गये एवम् उक्त के जरिये किये गये संव्यवहारों का जमा खर्च नहीं किया गया है। इस संबंध में सर्वेक्षण अधिकारी ने अभिग्रहित दस्तावेजों की प्रति भागीदार श्री अजीत सिंह को प्रेषित

लगातार.....2

कर, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करनें हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समय–समय पर स्थगन चाहा गया जिसे स्वीकार कर, अन्ततः दिनांक 07.10.2010 को सर्वेक्षण अधिकारी ने प्रस्तुत लेखा पुस्तकों से सत्यापन कर, जांच बाद यह अवधारित किया कि 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल कुल रू.6,661/– नियमित लेखापुस्तकों में जमा खर्च अधिक पाया गया व 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य कुल रू.330/– व 20 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल कुल रू.20,709/– लेखापुस्तकों में कम पाया गया, इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत, 14 प्रतिशत व 20 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल का सत्यापन लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया गया है। उक्त माल की विस्तृत सूची तैयार कर, करापवंचन का प्रकरण दर्ज कर, सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर क्षेत्राधिकार, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी का होने के कारण, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को **दिनांक 07.10.2010** को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभियोग पत्रावली स्थानान्तरित की गयी। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिनियम की धारा 61 व 75(8) के तहत् कर व शास्ति आरोपण हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान करने के मद्देनज़र, नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका गहन तथ्यात्मक विश्लेषण कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब अंकित तथ्यों का सत्यापन नियमित बहीयात से कर, अपीलार्थी व्यवहारी के स्टॉक में 14 प्रतिशत की दर से कर योगय माल रू.6,661/– अधिक पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 75(8) के तहत् 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 1,998/– व कर रू.933/– आरोपित किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर, 5 प्रतिशत की दर से कर योगय माल कीमतन रू.330/– व 20 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रू. 20,709/– का कम पाये जाने तथा अभिग्रहित दस्तावेजों में 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रू.59,210/–, 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रू.75,103/– तथा 20 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल रू.15,205/– उच्चन्ती विक्रय होना अवधारित कर, उक्त का जमा खर्च नियमित लेखा–पुस्तकों में नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत् शास्ति रू.41,350/– कुल शास्ति रू. 43,348/– आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील

लगातार.....3

अस्वीकार की गयी । जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जिसके जरिये अपीलीय अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 61 के अधीन कार्यवाही करने के लिये अधिनियम धारा 25 के तहत् किसी अवधि में कर अपवंचन की दशा में निर्धारण कार्यवाही आवश्यक है तभी धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है । तर्क दिया कि तत्कालीन विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 28 के प्रावधान, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 25 के समान हैं, जो अपवंचन/परिवर्जन की दशा में, निर्धारण कर, कर व शास्ति आरोपण की व्यवस्था देते हैं । इसी प्रकार राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 65 के प्रावधानों के समान राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 61 के प्रावधान हैं । अतः ऐसी स्थिति में, उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति व कर को विधिसम्मत नहीं होने के कारण, इन्हें अपास्त करने का निवेदन किया गया।

अग्रिम तर्क दिया कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा जांच करने पर स्टॉक में पाये गये अंतर के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी फर्म के भागीदार की माताजी तथा दूसरे साझेदार की पत्नी का देहांत दिनांक 16.04.2010 को हो जाने के कारण व्यवसाय का संचालन सही व विधिक तरीके से नहीं किया गया जिसके कारण कुछ माल जो विक्रय किया गया उसके इन्वॉसेज जारी नहीं हो पाये तथा कुछ माल वक्त सर्वेक्षण अधिक पाया गया। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की कोई कर चोरी की मंशा नहीं थी। कथन किया कि उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति से सर्वेक्षण व निर्धारण अधिकारी को स्पष्ट कर दिया गया था, परन्तु उक्त समस्त तथ्यों क अनदेखी कर, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अभियोज दर्ज कर, मांग राशियां कायम की गयी जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

1. (1970) 25 एस.टी.सी. 211

लगातार.....4

2. (1967) 20 एस.टी.सी. 115
3. (1992) 86 एस.टी.सी.185
4. (1980) 45 एस.टी.सी. 197
5. (2010)14 वैट रिपोर्टर 111
6. (2010)14 वैट रिपोर्टर 233
7. 322 आई.टी.आर. 158

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी व निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । अग्रिम अभिवाक् किया कि भागीदार श्री अजीत खजान्ची द्वारा दिये गये बयान जो रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक–10 पर उपलब्ध है में यह स्वीकार किया गया है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखा पुस्तकें अभी तक अर्थात वक्त सर्वेक्षण तक संद्धरित नहीं की गयी हैं। उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विपरीत परिस्थितियां जो कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकट की गयी हैं के बावजूद, क्रय–विक्रय संव्यवहार किया जा रहा था, केवल किये गये संव्यवहार को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करना दोषी मनोभाव का घोतक है। अतः दिये गये बयान अपराध स्वीकारोक्ति है जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **5 आर.टी.जे.एस 60 मै0 राजा ग्लास हाऊस व 25 टैक्स अपडेट 20** मै0 राजेन्द्र इलैक्ट्रिकल्स के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं तथा अपराध की स्वीकारोक्ति के कारण माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण में लागू करने की प्रार्थना की है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक व उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि सर्वेक्षण के दौरान कुछ माल नियमित लेखापुस्तकों में जमा खर्च अधिक पाया गया एवम् कुछ नियमित लेखापुस्तकों में जमा खर्च कम पाया गया जिसका जमा खर्च नियमित बहीयात में नहीं किया गया है। जिसके संबंध में सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष भागीदार श्री अजीत सिंह द्वारा बयान दिया गया कि वित्तीय वर्ष में किये गये **संव्यवहार**

लगातार.....5

**को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।** इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विपरीत परिस्थितियां जो कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकट की गयी हैं के बावजूद, क्रय–विक्रय संव्यवहार किया जा रहा था, केवल किये गये संव्यवहार को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करना दोषी मनोभाव का घोतक है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत जो **मै0 राजा ग्लास हाऊस 5 आर.टी.जे. एस 60 व मै0 राजेन्द्र इलैक्ट्रिकल्स जालौर 25 टैक्स अपडेट 20 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में** अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, कायम की गयी मांग राशियां विधिक एवम् उचित है। जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपील अस्वीकार कर, दोनो अवर अधिकारियों के आदेशों की पुष्टि की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया गया ।

28.4.2015

(मदन लाल)
सदस्य